

न्यायालय- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद

(समक्ष : पी0सी0आर्य)

प्रकरण क्रमांक: 11/15अ0दी0

संस्थापन दिनांक 24.09.15

फाईलिंग नंबर-23030300010982015

सतनाम पुत्र कर्मेसिंह

.....अपीलान्त

वि रू द्ध

राजवीर वगैरा

.....प्रत्यर्थीगण

अपीलान्त द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता

प्रत्यर्थी क0-1 व 2 द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता

प्रत्यर्थी क0-3 व 4 पूर्व से एकक्षीय

-:- आ दे श -:-

(आज दिनांक **09 मई 2016** को खुले न्यायालय में पारित)

1. इस आदेश द्वारा मध्यस्थतम के माध्यम से पक्षकारों के मध्य हुए समझौता के आधार पर समझौता आदेश पारित किया जा रहा है।
2. प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि वादग्रस्त भूमि के सर्वे क्रमांक व रकवा पक्षकारों के मध्य स्वीकृत हैं। यह भी निर्विवादित है कि राजस्व अभिलेखों में बंदोवस्त के समय वादी/अपीलार्थी सतनाम सिंह के स्थान पर प्रतिवादी राजवीर एवं दीपक के नाम अंकित हुए थे। यह भी स्वीकृत है कि बंदोवस्त में विवादित भूमि के सर्वे क्रमांक परिवर्तित हुए हैं।
3. अपील आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/अपीलार्थी का मूल वाद मौजा शंकरपुर स्थित सर्वे क्रमांक-930, 936, 940, 941, 942, 894, 897, 934, 938, 943, 927, 928, 929, 934, 936 की भूमियों में प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 के साथ समान रूप से 1/3 भाग के स्वत्व एवं आधिपत्यारी होने की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसे वादोत्तर में प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क0-1 व 2 के द्वारा खण्डन किया गया। प्रकरण में पूर्व में व्यवहारवाद क्रमांक-52ए/08 इदी के रूप में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 गोहद जिला भिण्ड के द्वारा दिनांक 22.07.11 को निर्णय व डिक्री पारित कर वादी का वाद निरस्त किया गया था जिसकी प्रथम सिविल अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई जो सिविल अपील क्रमांक-39/14 के रूप में 27.08.14 को निराकृत करते हुए मूल प्रकरण आदेश 41 नियम 28 सीपीसी के अंतर्गत अतिरिक्त साक्ष्य लिये जाने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया था। तत्पश्चात पुनः एक वाद तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 गोहद के द्वारा सिविल वाद क्रमांक-99ए/14 के रूप में दिनांक 31.08.15 को निराकृत करते हुए वादी का वाद धारा-34 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के परन्तुक के तहत आधिपत्य वापसी

की सहायता नहीं चाहे जाने के कारण निरस्त किया गया। जिसकी यह अपील पुनः विचाराधीन है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय में वादी को वादग्रस्त संपत्ति में 1/3 भाग का स्वामी होना तो माना है किन्तु आधिपत्यधारी होना नहीं माना है। और आधिपत्य वापिसी की सहायता न चाहे जाने के कारण निरस्त किया है।

4. अपील के विचाराधीन होने पर पक्षकारों के उपस्थित होने के बाद अपील में मध्यस्थता की कार्यवाही हेतु मामला व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 गोहद श्री ए0के0 गुप्ता की ओर रिफर किया गया था। जहाँ से दिनांक 03.05.16 को पक्षकारों के मध्य हुए समझौता आवेदन पत्र सैटलमेन्ट डीड के साथ मध्यस्थता सफल होने की सूचना सहित प्राप्त हुआ।
5. पक्षकारों के मध्य जो सहमति बनी है उसके मुताबिक वादी/अपीलार्थी सतनाम सिंह सर्वे क्रमांक-894 रकवा 0.23, एवं सर्वे नंबर-897 रकवा 0.04 कुल किता दो कुल रकवा 0.27 है0 स्थित मौजा शंकरपुर तहसील गोहद के हिस्सा 2/3 अर्थात् रकवा 0.18 है0 जो कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क0-1 व 2 राजवीर और दीपकसिंह के नाम इन्द्राजित है, वह वादी/अपीलार्थी सतनामसिंह के स्वामित्व व आधिपत्य का रहेगा और उसी अनुसार वह राजस्व अभिलेख में इन्द्राज कर सकेगा। ऐसा तय किया गया है।
6. सर्वे नंबर-927, 928, 929, 931 व 939 जिनका कुल रकवा 2.05 है0 है उसके प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क0-2 दीपक सिंह भूमिस्वामी आधिपत्यधारी रहना तय किया गया है तथा सर्वे क्रमांक-930, 936, 940, 941 और 942 जिनका कुल रकवा 1.90 है0 है उसके प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क0-1 राजवीर भूमिस्वामी व आधिपत्यधारी रहना तय किया है। मूल अभिलेख के साथ जो राजस्व अभिलेख संलग्न है, उसके मुताबिक भी बंदोवस्त के पूर्व अर्थात् संवत् 2045 से 2049 के समय सतनामसिंह इन्द्राजित था।
7. प्रकरण में इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है कि उपरोक्त वर्णित विवादित सर्वे क्रमांक के बंदोवस्त के पूर्व के क्रमांक-481, 482, 483, 484, 487, 489, 490, 491, 492 और 948 थे, जो बंदोवस्त में परिवर्तित हुए।
8. इस प्रकार से पक्षकारों के मध्य जो मध्यस्थतम कार्यवाही में समझौता हुआ है और लिखित रूप से आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के तहत समझौता मध्यस्थता की सैटलमेन्ट डीड का अंग बनाया गया है, उसकी शर्तें विधि विरुद्ध होना प्रतीत नहीं होती हैं तथा उससे मूल विवाद का जहाँ एक ओर अंत हो रहा है वहीं दूसरी ओर उससे दावे की तुष्टि भी हो रही है। ऐसी स्थिति में सैटलमेन्ट डीड के साथ संलग्न समझौता के आधार पर पक्षकारों पर बंधनकारक समझौता डिक्री प्रदान किया जाना न्यायसंगत और उचित पाया जाता है।
1. वादी/अपीलार्थी सतनामसिंह विवादित भूमि सर्वे क्रमांक-894 रकवा 0.23, एवं 897 रकवा 0.04 कुल रकवा 0.27 है0 स्थित मौजा शंकरपुर तहसील गोहद जिला भिण्ड के हिस्सा 2/3 जिसका रकवा 0.18 है0 बनता है, उसका भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी होना घोषित किया जाता है तथा आदेशित किया जाता है कि वह उक्त अनुसार संबंधित राजस्व न्यायालय में कार्यवाही करके अपना इन्द्राज करावे।

2. शेष विवादित भूमि समझौता आवेदन अनुसार प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क0-1 व 2 राजवीरसिंह एवं दीपकसिंह के स्वामित्व व आधिपत्य की रहेगी।
3. समझौता आवेदन पत्र दिनांकित 02.05.16 (मध्यस्थ कार्यवाही में पेश) डिक्री का अंग रहेगा।
4. पक्षकार समझौता को देखते हुए अपना अपना अपील का व्यय स्वयं वहन करेंगे जिसमें अभिभाषक शुल्क नियमानुसार जोड़ा जावे।
तदनुसार समझौता डिक्री तैयार की जावे।

दिनांक-**09.05.16**

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)